

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गवारडी
 मू.आ.नि धनेटिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमंगल नायक
 तहसीलदार की अनुशया के आधार पर राजस्थान मू.राज्य अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसार म ग्राम आजवा तहसील रेलमंगल व
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2017 में खाता संख्या 180 में
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं -


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>आजवा</u>	180	<p><u>हमपज पुत्र बड़ी</u> <u>भील हिमा - 1/63.</u> <u>M.A. 4. B.</u> <u>धनेटिया</u></p>	<p><u>हमपज पुत्र</u> <u>बड़ी भील</u> <u>हिमा - 1/63.</u> <u>R. 4. B. धनेटिया</u></p>


 पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक - **380**
 तिथि -

दिनांक - **16/10/25**

1. तहसीलदार को भजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


 पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर